IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध
शापिंग कम ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9,
सिकन्दरा योजना, आगरा।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

दूरभाष सं0 0562–2604018

पत्र सं0– 329/सं0प्र0–सिक0 आगरा/ / दिनांक 31-1-2017

प्रदेशन पत्र

पंजीकृत डाक से

सेवा में,

श्री रोहित यादव पुत्र श्री राम दुलारे यादव
निवासी–47ई0/16, प्रताप नगर,
आगरा–282010

विषयः– सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–2सी में स्वयं वित्त पोषित भवन आवासीय परियोजना वर्ष–2013 समान्य (प्रथम चरण) "ग्रीन एन्क्लेव" (एस+6) बहुमंजिले 2बी0एच0के0 आवासीय फ्लैटस संख्या–ए–602 के प्रदेशन के संबंध में

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयक सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–2सी में स्वयं वित्त पोषित भवन आवासीय परियोजना वर्ष–2013 समान्य (प्रथम चरण) "ग्रीन एन्क्लेव" (एस+6) बहुमंजिले 2बी0एच0के0 आवासीय फ्लैटस के अन्तर्गत चालान संख्या–25 के अधार पर दिनांक 04.07.2014 को सम्पन्न हुये पात्रता ड्रा में आप स्वयं वित्त पोषित भवन फिनिश्ड 2बी0एच0के0 प्रकार के हेतु सफल घोषित हुए। जिसकी सूचना आपको कार्यालय के पत्रांक–2288 दिनांक 01.10.2014 के द्वारा प्रेषित गयी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–29, सिकन्दरा आगरा के पत्रांक–1556 दिनांक 29.08.2016 द्वारा भवन आवंटन हेतु आफर कर दिये जाने के पश्चात् दिनांक 27.09.2016 को लाटरी ड्रा में आपको सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर–2सी में स्थित स्वयं वित्त पोषित बहुमंजिले भवन संख्या–ए–602 को अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के सीनियर सिटीजन/आर0जी0एस0 के आरक्षण के आधार पर आपको उक्त भवन का आवंटन किया गया है। अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् वृत्त, आगरा के पत्र संख्या–1840 दिनांक 24.08.2016 के द्वारा मूल्यांकन स्वीकृत कर दिया गया है। अतः आपको आवंटित भवन का प्रदेशन पत्र परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है। आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 28.02.2017 तक भुगतान तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की जानी है।

(क) सम्पत्ति के कुल मूल्य का विवरण :–

1–भवन में सन्निहित मानक भूखण्ड क्षेत्रफल 113.41 वर्गमीटर भूमि का मूल्य		रू0 14,74,385=00
2–मानक क्षेत्रफल से अधिक –वर्गमीटर भूमि का मूल्य		रू0 –
3–भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क		रू0 1,76,950=00
4–कॉर्नर भवन में देय भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य		रू0 –
5–स्वीकृत भवन की निर्माण लागत		रू0 25,30,355=00
6–भवन का कुल मूल्य		रू0 41,81,655=00
	कुल योग–	रू0 41,81,655=00

(ख) जमा धनराशि का विवरण :–

1–पंजीकरण हेतु जमा धनराशि	रू0 2,05,000=00	
2–किश्त के विरूद्ध कुल जमा धनराशि	रू0 39,93,820=00	
3–समय से निर्धारित किश्तों का भुगतान नहीं करने पर देय दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज की धनराशि		रू0 00=00
4–देय दण्ड ब्याज/अतिरिक्त ब्याज का समायोजन उपरान्त अधिक जमा धनराशि		रू0 17,165=00
	कुल अधिक जमा धनराशि	रू0 17,165=00

(घ) विविध शुल्क का विवरण :–

1–विक्रय विलेख शुल्क		रू0 350=00
2–पुनर्जीवन शुल्क (पंजीकरण पुस्तिका की शर्त सं0–4.2 एवं 4.3 के अनुसार)		रू0 –
3–विज्ञापन शुल्क		रू0 10,454=00
	विविध शुल्क का योग–	रू0 10,804=00

सम्पत्ति प्रबन्धक

क्रमशः–...02.......पर

कृपया नकद कय पद्धति बिन्दु ग एवं किश्त कय पद्धति बिन्दु घ दोनों के भुगतान विकल्प का उल्लेख है, किश्त कय पद्धति के केता दोनों में से एक विकल्प के अनुसार भुगतान की कार्यवाही निर्धारित तिथि तक कर सकते है तथा नकद कय पद्धति के केता बिन्दु ग के अनुसार ही भुगतान करेगें।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र नकद कय पद्धति पर भुगतान करने वाले आवंटी दिनांक 30.06.2018 तक व किश्त कय पद्धति पर भुगतान करने वाले आवंटी दिनांक 30.04.2018 तक इस कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा किश्त के आवेदक पर दिनांक 01.05.2018 से एवं नगद के आवेदक पर दिनांक 01.04.2018 से रू0 75.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0 75.00 प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रखरखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी। अनुबंध/रजिस्ट्री निष्पादन कराने हेतु कार्यालय से तिथि निर्धारित कराकर दो गवाहों सहित कार्यालय में उपस्थित हो। कब्जा पत्र अनुबंध/रजिस्ट्री निष्पादित कराकर ही जारी होगा।

विशेष नियम व शर्ते :–

1. उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों एंव भवन के पंजीकरण एंव प्रदेशन संबंधी विनियम 1979 (यथा संशोधित जून 1986 तक) के सभी नियम व शर्त लागू होंगे।
2. उक्त आवंटित आवासीय भूखण्ड का भू–उपयोग आवासीय है अन्यथा भू–उपयोग पाये जाने पर परिषद के विनियम 44 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(ए0 के0 गुप्ता)
सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची।
किश्त कय पद्धति के केता को दिनांक 30.04.2018 तक प्रपत्र जमा करने होगें।

1. परिषद की ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, कारगिल पेट्रोल पम्प के पास, बोदला सिकन्दरा रोड, सेक्टर–13 आगरा के खातें में जमा कराई गयी जमा की रसीदें प्रस्तुत करें।
2. जिलाधिकारी (म0) आगरा की वर्तमान सर्किल दर, के अनुसार जो देय हो के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर विकय विलेख/किश्त कय पद्धति अनुबंध निष्पादन हेतु प्रस्तुत करें।
3. कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–29, सिकन्दरा योजना, आगरा से तीन साइड प्लान प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
4. आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकार द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
5. 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।
6. निम्नांकित प्रारूप पर किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने दो हस्ताक्षर एवं फोटो ग्राफ प्रस्तुत करें।

परिचय पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.................................निवासी.................................
.................................को भलीभांति पूर्वक जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटों मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

प्रमाणित करने वाले के अधिकारी के फोटो एवं हस्ताक्षरों पर अलग–अलग प्रमाणित के हस्ताक्षर, पद नाम, विभाग का नाम व विभाग की मुहर स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए।

7. निम्नलिखित प्रारूप पर रू0 10 के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सबजज/नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करें।

शपथपत्र का प्रारूप

मै (नाम).................................आयु.............पुत्र/पुत्री.................................निवासी ....निम्न प्रकार शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्डों/भवन/दुकान पूर्णतया या अंशत आगरा नगर में नहीं है। उ0 प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन/दुकान नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपड अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति नही है। और न होगी।
3. मै/मेरी पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ0 प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड/दुकान के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष 2000–2001 की वार्षिक आय जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं, कुल रू0.................................से अधिक नहीं थी।

मै (नाम).................................घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

शपथी
प्रमाणित
मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी